।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।।

संख्याः626 /आब0व्यवस्थापन/2024–25/रूद्रप्रयाग दिनांक फरवरी 23 ,2024

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तराखण्ड।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए दुकानवार नवीनीकरण हेतु राजस्व निर्धारण चार्ट को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या 625/जि0आ0अधि0/व्यवस्थापन/2023–24/रूद्रप्रयाग दिनांक फरवरी 23 ,2024 (संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या– 148 (1)/XXIII-I/2024 /04(01)/2024 देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी 2024 में दिये गये नियम 1.1(1), 1.2, 1.3, 2.5(f), 3.6, 3.14 तथा नियम 4.3 के अनुसार जनपद की 10 विदेशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2024–25 हेतु नवीनीकरण के लिए राजस्व चार्ट प्रस्तावित किया गया है।

अतः जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु जनपद रूद्रप्रयाग की 10 विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के लिए प्रस्तावित राजस्व चार्ट संलग्न कर अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः– 1– जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तुत पत्र।

2– प्रस्तावित राजस्व चार्ट।

भवदीय,

(सौरभ गहरवार)

जिलाधिकारी,

रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

संख्याः– 625 / जि0आ0अधि0 / व्यवस्थापन / 2023–24 / रूद्रप्रयाग दिनांक फरवरी 23 ,2024

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए दुकानवार नवीनीकरण हेतु राजस्व निर्धारण चार्ट को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या– 148 (1)/XXIII-I/2024 /04(01)/2024 देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी 2024 (पताका–"क") का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आबकारी नीति वर्ष 2024–25 प्रख्यापित की गई है।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–148 (1)/XXIII-I/2024/04(01)/2024 देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी 2024 में दिये गये नियमों के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग की 10 विदेशी मदिरा दुकानों का राजस्व वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए नवीनीकरण हेतु निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

1– **नियम 1.1 (1) के अनुसार** वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संचालित मदिरा दुकानों में व्यवस्थापित राजस्व को वार्षिक आगणन के आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए विदेशी मदिरा दुकानों वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये निर्धारित किया गया है।

2– **नियम 1.2 के अनुसार मदिरा की दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–** मदिरा की दुकानों हेतु वर्ष 2024–25 के लिए विदेशी मदिरा का खुदरा दुकानों की लाईसेंस फीस नियम 1.1(1) के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 01 प्रतिशत के बराबर निकटतम रूपयें–1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की गयी है।

3– **नियम 1.3 के अनुसार मदिरा की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारणः–** उपरोक्त नियम 1.1 के अर्न्तगत दुकानवार निर्धारित कुल राजस्व में से नियम 1.2 के अर्न्तगत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम प्रत्याभूति ड्यूटी निर्धारित की गयी है।

4– **नियम 2.5 (f) के अनुसार** वर्ष 2024–25 के लिए सम्बन्धित मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु निर्धारित राजस्व का 0.25 प्रतिशत की धनराशि या पचास हजार रूपये जो अधिक हो, नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।

5– **नियम 3.6 के अनुसार** हैसियत हेतु मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2024–25 के कुल राजस्व के 15 प्रतिशत के बराबर धनराशि निर्धारित की गयी है।

6– **नियम 3.14 के अनुसार** राजस्व निर्धारण के चार्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस दुकान की उप दुकान खोली जा सकती है।

7– **नियम 4.3 के अनुसार** प्रथम व द्वितीय प्रतिभूति पृथक–पृथक कुल वार्षिक न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के 1/12 भाग के बराबर निर्धारित की गयी है।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2024–25 (01.04.2024 से 31.03.2025 तक) की अवधि हेतु जनपद की 10 विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु राजस्व का निर्धारण चार्ट प्रस्तावित है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रस्तावित राजस्व निर्धारण चार्ट को अनुमोदनार्थ आयुक्तालय प्रेषित किये जाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
23.02.2024
(लक्ष्मण सिंह बिष्ट)
जिला आबकारी अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या– 148/(1)XXIII-1/2024-04(01) 2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक आबकारी नीति के बिन्दु संख्या 1.1(1) के अनुसार विदेशी मदिरा दुकानो के नवीनीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का विवरण।

क्र0 सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वर्ष 2023– 24 हेतु व्यवस्थापित राजस्व (वार्षिक आगणन के आधार पर)	वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित राजस्व (10 प्रतिशत वृद्वि के पश्चात)	वर्ष 2024– 25 हेतु निर्धारित राजस्व		प्रतिभूति		नवीनीकरण शुल्क वर्ष 2024–25 हेतु (निर्धारित राजस्व का 0.25% अथवा 50000 जो अधिक हो)	हैसियत की धनराशि (कॉलम– 4 का 15%)	प्रस्तावित उप दुकान
				निर्धारित लाई0 फीस (वर्ष 2024–25 के निर्धारित राजस्व का 1% के बराबर 1000 के पूर्णांक में)	वार्षिक अधिभार (4–5)	प्रथम (कॉलम– 06 का 1/12)	द्वितीय (कॉलम– 06 का 1/12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	काकडागाड (ऊखीमठ)	127487372	140236109	1402000	138834109	11569509	11569509	350590	21035416	ऊखीमठ
2	रुद्रप्रयाग	123513022	135864324	1359000	134505324	11208777	11208777	339661	20379649	नगरपालिका रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत
3	अगस्त्यमुनि (विजयनगर)	110123623	121135985	1211000	119924985	9993749	9993749	302840	18170398	चन्द्रापुरी
4	तिलवाडा	81658531	89824384	898000	88926384	7410532	7410532	224561	13473658	सौराखाल
5	मयाली	47936160	52729776	527000	52202776	4350231	4350231	131824	7909466	–
6	घोलतीर (नगरासू)	38139697	41953667	420000	41533667	3461139	3461139	104884	6293050	जग्गी काण्डे
7	खाकरा	34913941	38405335	384000	38021335	3168445	3168445	96013	5760800	–
8	बसुकेदार	34618775	38080653	381000	37699653	3141638	3141638	95202	5712098	–
9	चोपता (सतेराखाल)	27890973	30680070	307000	30373070	2531089	2531089	76700	4602011	सतेराखाल
10	खेडाखाल	7558496	8314346	83000	8231346	685946	685946	50000	1247152	काण्डई
	योग	633840590	697224649	6972000	690252649	57521055	57521055	1772275	104583698	–

23/02/2024
(अजय कुमार)
आबकारी निरीक्षक,
रुद्रप्रयाग

23.02.2024
(लक्ष्मण सिंह बिष्ट)
जिला आबकारी अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner